

यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशील व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करना, जिसमें ‘बलात्कार के प्रयास’ की परिभाषा बदल दी गई थी, केवल एक कानूनी सुधार मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह न्यायिक संवेदनशीलता और गंभीर मामलों में न्यायिक दृष्टि की स्पष्टता की पुनः पुष्टि भी है। सर्वोच्च अदालत ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप बहाल करके, इस बात पर भी बल दिया कि अपराध के इरादे को, प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कमतर नहीं माना जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस बाबत जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर तल्लख प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, जिसे किसी सभ्य समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल माना गया था। दरअसल, हाई कोर्ट ने माना था कि एक नाबालिग के उरोज पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी ढीली करना और उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास दुराचार की तैयारी थी, न कि बलात्कार का प्रयास, क्योंकि इसमें अपराध की दिशा में कोई सीधा कदम नहीं उठाया गया था। स्वाभाविक रूप से इस तरह की संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ समाज में प्रतिक्रिया होनी ही थी। कहीं न कहीं इस तंग व्याख्या से अपराधी के जघन्य इरादे और प्रयास की अवधारणा को कमजोर करने का जोखिम भी था। निस्संदेह, इस तरह की व्याख्या से महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद ही होते। जाहिर है इस तरह की सोच कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह सुखद ही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संकीर्ण व्याख्या वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्थक हस्तक्षेप किया है। दरअसल, आपराधिक कानून में, प्रयास तब माना जाता है, जब किसी अपराध की तैयारी उस कृत्य को अंजाम देने में बदल जाती है। जो कि इच्छित अपराध के निकट होती है। इस मामले में आरोप- शारीरिक छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने और जबरन घसीटना, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न की ओर एक सुनियोजित कदम की पुष्टि कर देते हैं। जिसे केवल पीड़िता के करुण क्रंदन सुनने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के हस्तक्षेप से ही रोका गया।

निस्संदेह, इसके विपरीत मानना यौन हिंसा की वास्तविकताओं और नाबालिगों की असुरक्षा को अनदेखा करना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह फैसला आरोपों की गंभीरता की पुष्टि करता है। ताकि पूर्व सुनवाई में साक्ष्यों की उचित संदर्भ में जांच का जा सके। ऐसे वक्त में जब देश की कई अदालतों में लैंगिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना हो रही थी, यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कानूनी तर्क को संवैधानिक मूल्यों को बनाये भी रखना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जिनका उद्देश्य किसी सभ्य समाज में नागरिकों को आसन्न खतरे से भी बचाना ही होता है। बहरहाल, इस प्रकरण में यह सार्थक हस्तक्षेप इस बात की पुष्टि भी करता है कि कानून बच्चों को न केवल अपराधियों द्वारा अंजाम दिए जा चुके अपराधों से बल्कि भविष्य में आसन्न अपराधों से भी बचाता है। इस प्रकरण के बाद कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल न्यायिक जवाबदेही में संतुलन स्थापित किया, बल्कि आखिरकार आम लोगों के विश्वास को भी बहाल किया है। निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया को न्याय के नैसर्गिक नियमों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। जो देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाने वाला भी होगा। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जब व्यक्ति समाज में चारों तरफ से व सिस्टम से निराश हो जाता है तो न्याय की चौखट उसकी उम्मीद की अंतिम किरण होती है। यदि वहां से भी संवेदनशील पहल होती न नजर आए तो उसका निराश होना स्वाभाविक ही है। सुप्रीम कोर्ट की इस संवेदनशील पहल ने सही मायने में उस आदमी के भरोसे को ही संबल दिया है। जिसका स्वागत किया जाना जरूरी भी है।

आज का पंचांग

कोलकाता : 20 फरवरी, शुक्रवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2082, फाल्गुन शुक्लपक्ष तृतीया, 14:36 तक, नक्षत्र : उत्तरभाद्रपदा, 19:56 तक, योग : साध्य, 18:14 तक, सूर्योदय: 06:06, सूर्यास्त: 17:35, चन्द्रोदय : 07:41, चन्द्रास्त: 20:21, शक सम्वत: 1947 विशाखसु, सूर्य राशि : कुम्भ, चन्द्र राशि : मीन, राहू काल : 10:24 से 11:50

राशिफल

मे़ष : प्रोग्रेस हल्की लेकिन मीनिंगफुल होगी। दसवें घर में मंगलदेव की उपस्थिति आपको ऑफिस में सम्मान दिलाएगी। सावधानी से खर्चों को संभालें और लॉन्ग-टर्म स्ट्रेबिलिटी पर ध्यान दें।**वृष :** नेटवर्किंग और सहयोग से तरक्की बेहतर होगी। मकर राशि में नौवें घर में मंगलदेव टेक्निकल डिटेल्स को समझने की हिम्मत देते हैं, शुक्र यह पक्का करते हैं कि आपके सीनियर आपको पसंद करें।**मिथुन :** अनुशासन और साफ बातचीत से लगातार तरक्की होगी। मीन राशि में चंद्रमा बेहतर नतीजों के लिए बोर्डरूम में इंटरव्यूशन का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है।**कर्क :** नौवें घर के चंद्रमा के गोचर से सीखने और बड़े नज़रिये से देखने से करियर में तरक्की बेहतर होगी। मंगलदेव मुश्किल क्लाइंट या कॉम्पिटिटर को डिसिप्लिन के साथ संभालने की हिम्मत देते हैं।**सिंह :** अनुशासन से तरक्की लगातार मिलेगी। मकर (छठे घर) में मंगलदेव आपको कॉम्पिटिटर पर बढ़त और डिटेल्ड पेपरवर्क को पूरा करने की हिम्मत देते हैं।**कन्या :** कुंभ में सूर्य, बुध और शुक्रदेव की उपस्थिति से टीमवर्क और इनोवेशन से आपकी तरक्की बेहतर होगी। मकर राशि (पांचवें घर) में मंगलदेव प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट बनाने के लिए स्टैमिना देंगे।**तुला :** अनुशासन और लगातार कोशिश से प्रोग्रेस बेहतर होगी। आज पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। हेल्थ या घर से जुड़े खर्चों के बारे में सावधानी से प्लानिंग करें।**वृश्चिक :** वसावधानी से प्लानिंग करने और मौजूदा जिम्मेदारियों का रिव्यु करने पर फोकस करें। आठवें घर में बृहस्पति का वक्री होने से आप अपने लोन्स या इंश्योरेंस को रिव्यू करेंगे।**धनु :** भविष्य में पहचान के लिए एक मजबूत नींव बनाने हुए आपकी प्रोग्रेस स्थिर रहेगी। चौथे घर में चंद्रदेव आपका ध्यान पर्सनल मामलों की ओर खींच सकते हैं।**मकर :** आज ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को फाइनल करने या बिजनेस ट्रेवल करने के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। आपकी राशि में मंगलदेव आपको एक अहम बहुत दिलाएंगे।**कुम्भ :** स्ट्रेटेजी और बिहाईंड-द-सीन्स रिसर्च के जरिए तरक्की लगातार हो रही है। जहां मकर (बारहवें घर) में मंगलदेव शांति से सुधार करने में मदद करेंगे।**मीन :** प्लानिंग और बजट रिव्यू पर ध्यान दें। आपके बारहवें घर में ग्रहों के होने से, आपका मन दून या डिप्रे हुए खर्चों पर हो सकता है। तरक्की अक्सर पदों के पीछे रहकर हो रही है।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तार: एक सार्थक पुकार



ललित गर्ग

समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम समावेश को सशक्त बनाना: सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतियां घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम समावेश को सशक्त बनाना: सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतियां घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना

की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है।

समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा

विश्व सामाजिक न्याय दिवस- 20 फरवरी, 2026

है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में

नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है।

सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में

जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।

अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टेक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके।

2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मानने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।

-लोकक, पत्रकार, स्तंभकार

संवेदनशील प्रशासन और संयमित छात्र: संतुलन ही समाधान



आरुके जैन अरिजीत

कभी-कभी बस एक छोटा-सा क्षण पूरी व्यवस्था की आत्मा को बेनकाब कर देता है। घड़ी ने दस मिनट का फासला तय किया-और एक बच्ची परीक्षा कक्ष के बाहर रह गई। वही दस मिनट उसके जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन गए। नियम अपनी जगह अडिग खड़े रहे, पर जीवन चुपचाप फिसल गया। दूसरी ओर, एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र कम पड़े तो उसी तंत्र ने नियमों को मोड़कर दो पालियों में परीक्षा करा दी। यही विरोधाभास हमारे समय की गंंगी सच्चाई है-जहाँ सुविधा हो वहाँ नियम लचीले, और जहाँ कठिना चाहिए वहाँ वे पत्थर बनकर गिरे हैं। दस मिनट की देरी पर दरवाज़ा बंद कर देना नियम की कठोरता नहीं, संवेदना की विफलता है। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा की जाँच है, न कि घड़ी की सुइयों की पूजा। यदि चाहा जाता तो कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता था-जैसा अन्य परिस्थितियों में निकाला भी गया। पर यहाँ नियमों की दीवार ऊँची कर दी गई और मानवीय विवेक को बाहर छोड़ दिया गया। परिणाम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा, वह एक असहनीय त्रासदी में बदल गया। प्रश्न नियमों के अस्तित्व का नहीं, उनमें जीवित मनुष्यता की उपस्थिति का है। क्या व्यवस्था इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि उसे परिस्थितियों

की धड़कन सुनाई ही नहीं देती?

इसी क्रम में दूसरी घटना ने तंत्र का दूसरा चेहरा भी दिखाया। जब प्रश्नपत्र कम पड़ गए और व्यवस्था की अपनी भूल उजागर हुई, तो तुरंत समाधान तलाश लिया गया। दो पालियाँ बनीं, प्रति्याँ तैयार हुईं, समय-सारिणी बदली-और परीक्षा पूरी करा दी गई। यहाँ नियमों को मोड़ना संभव था, क्योंकि आवश्यकता थी। यही विरोधाभास सबसे चुभता है-जहाँ सिस्टम की असुविधा हो, वहाँ लच-लचापन; जहाँ छात्र की मजबूरी हो, वहाँ कठोरता क्यों? क्या नियम केवल नीचे की ओर सख्त और ऊपर की ओर नरम होते हैं? क्या कठणा का पैमाना भी पद और अधिकार देखकर बदल जाता है?

पर इस पूरी पीड़ा का एक और पक्ष भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। अंक केवल भविष्य की दिशा तय करते हैं, अस्तित्व की कीमत नहीं। देर हो जाए तो अगला अवसर मिलता है, अगला प्रयास संभव है, अगला वर्ष संवेदना की विफलता है। परीक्षा का फाड़ दिया जाए, तो उसे कोई परिणाम नहीं उठाया गया चरम कदम समस्या का समाधान नहीं, परिवार के लिए आजीवन धाव बन जाती है। हमें यह समझना और समझाना होगा कि असफलता अंत नहीं, अनुभव है; ठोकर हार नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी है।

हमारे समाज ने परीक्षा को उपलब्धि से आगे बढ़ाकर प्रतिष्ठा और पहचान का पैमाना बना दिया है। अंक अब केवल परिणाम नहीं रहे, वे मानो सम्मान का यांत्रिक हो चुकी है कि उसे परिस्थितियों

- दूसरी पालियों में समाधान, पहली में जीवन की हार
- परीक्षा से बड़ी है जिदगी, अंक केवल संकेत हैं, मूल्य नहीं

आकांक्षाएँ, रिश्तेदारों की तुलना और सोशल मीडिया की चक्काचौध-ये सब मिलकर एक कोमल मन पर ऐसा दबाव रचते हैं, जो दिखाई नहीं देता पर भीतर गहराई तक चुभता है। ऐसे माहौल में दस मिनट की देरी महज़ समय का अंतर नहीं रह जाती; वह मानो सपनों के ढह जाने का प्रतीक बन जाता है। यहीं परिवार और विद्यालय की असली भूमिका शुरू होती है। बच्चों को सिखाना होगा कि जीवन की कीमत किसी परिणाम से कहीं अधिक है। परीक्षा एक अवसर है, अस्तित्व का अंतिम सत्य नहीं। प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं, पर उनका उद्देश्य मनुष्यों की रक्षा करना है, उन्हें तोड़ना नहीं। यदि कोई नियम ऐसी स्थिति पैदा करे जहाँ जीवन ही संकट में पड़ जाए, तो उसके स्वरूप पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। हर परीक्षा केंद्र पर मानवीय विवेक की एक व्यवस्था, जहाँ आपात स्थिति में समाधान खोजा जा सके। जब तकनीकी नुटियों पर तत्काल विकल्प संभव हैं, तो कुछ मिनट की देरी पर संवेदना असंभव क्यों प्रतीत होती है? प्रशासनिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता भी अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा बननी चाहिए।

छात्रों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। समयपालन कोई औपचारिक नियम नहीं, बल्कि

व्यक्तित्व की रीढ़ है; अनुशासन ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। परीक्षा के दिन तैयारी केवल पाठ्यक्रम की नहीं, परिस्थिति की भी होनी चाहिए-समय से पहुँचना, विकल्प सोचकर चलना, जोखिम से बचना। किंतु यदि कभी चूक हो जाए, तो उसे जीवन की हार का नाम न दें। सच्चा साहस गिरकर फिर खड़े होने में है, न कि एक ठोकर को अंतिम सत्य मान लेने में। असफलता से जूझना परिपक्वता है; क्षणिक आवेग में स्वयं को ही दंडित कर देना नहीं। जीवन एक लंबी दौड़ है-एक मोड़ फिसलन भरा हो सकता है, पर वह पूरी मंज़िल को निगल नहीं सकता।

यह घटना हमें एक कठोर सत्य से रूबरू कराती है-संतुलन ही व्यवस्था और जीवन, दोनों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नियम हों, पर उनमें मानवता की धड़कन भी हो; अनुशासन हो, पर उसके साथ समझ और संवेदना भी। उतना ही जरूरी है कि विद्यार्थी भी क्षणिक आघात को अंतिम फैसला न बनने दें। समाधान किसी एक पक्ष की छिपा है। जब प्रशासन विवेकशील हो और युवा संयमित, तभी त्रासदियों के रास्ते बंद होते हैं। यदि व्यवस्था पत्थर न बने और छात्र आवेग के बजाय साहस चुनें, तो अनेक घरों की रोशनी बच सकती है। परीक्षा कक्ष का दरवाज़ा समय पर बंद हो सकता है, पर जीवन का द्वार कभी बंद नहीं होना चाहिए-और उसे खुला रखना ही समाज, सिस्टम और छात्र, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

विदेश की खबरें
प्रधानमंत्री मोदी की तेल प्रतीव यात्रा से पहले भारत-इज़राइल ने रक्षा सहयोग के लिए एक और करार किया तेल अवीव : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इसी महीने के आखिर में होने वाली इज़राइल यात्रा से पहले, भारत और इज़राइल ने रक्षा संबंधों को ग़ाराढ़ करने और भविष्य की सगोष्टियों तथा सहकारी पहलों सहित एक रही संयुक्त गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इज़राइल के रक्षा मंत्रालय (आईएमओडी) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय (एसआईबीईटी) ने भारत और इज़राइल के प्रमुख रक्षा उद्योगों के बीच बैठकों की सुविधा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप समझौता ज़ापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आईएमओडी द्वारा जारी बयान में बताया गया कि एसआईबीईटी ने सोसाइटी ऑफ़ इंडियन डिफेंस मैनुयैक्चरर्स (एसआईडीएम) और भारत के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस सप्ताह अग्रणी भारतीय और इज़राइली रक्षा कंपनियों के बीच एक संगोष्ठी और भी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) बैठकों का आयोजन किया। ब्रिटेन की पुलिस ने कदाचार की जांच के सिलसिले में चार्ल्स तृतीय के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार किया लंदन : ब्रिटेन की पुलिस ने बृहस्पतिवार को महाराजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार के संदेह में गिरफ्तार किया है। उन पर यौन अपराधी जेफ्री एफ्टीन के साथ संबंध रखना का आरोप भी है। टेम्स वैली पुलिस ने कहा कि बर्कशायर और नॉरफॉक में पूर्व प्रिंस से जुड़े ठिकानों पर तलाश अभियान जारी हैं, जबकि वह पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, लेकिन ऐसी खबर है कि इस गिरफ्तारी में एंड्रयू शामिल हैं। एंड्रयू का बृहस्पतिवार को जन्मदिन भी है और आज वह 66 वर्ष के हो गये। टेम्स वैली पुलिस के सहायक मुख्य कांस्टेबल ओलिवर राइट ने कहा, "गहन मूल्यांकन के बाद, हमने सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार के इस आरोप की जांच शुरू कर दी है।

वर्ग पहेली नं. 3357

1	2		3		4	5
	6				7	8
9			10			
		11	12		13	14
	15			16	17	
	18			19		20
21			22		23	
	24				25	
26					27	

बायें से दायें:- 3) एक पांडव, 6) नीच और पापी, 7) नमस्कार, 9) आलसी, 10) मल्ल, 11) एक फल, 13) झक्की, 15) जी आना, 16) तदुपरांत 18) रक्तवर्णीय, 19) गलना, 21) पर्यन्त, 22) इक्का-दुक्का, 23) हिसाब, 25) बैरी, 26) दयनीय, 27) व्यवहार; आचरण.

ऊपर से नीचे:- 1) एक भारतीय शहर, 2) धूमधाम, 3) नज-

पिछली पहेली का उत्तर

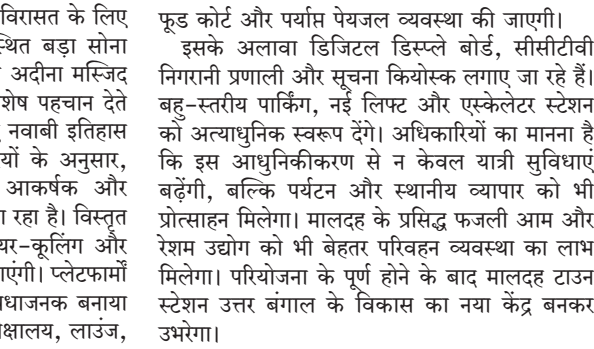
का	व	च		अ	ग	ला	घ
ट	म	ज	ब	र	ल	वा	ह
क	ल	क	ल	म	वा	ल	सा
	ब	आ	न	न	फ़ा	न	न
अ	स	र	दा	र	र	ट	
ग्र		ती	र	अ	ना	ख	
ज	म	दा	ता	त	मा	म	
	स	ब	ल	ख	ल	ब	ली
सु	भी	ता	ब	द	न	ला	छ

सुडोकू-पहेली-3315

9	1	2	3	4	5	6	7	8
		3			2			6
2	7			4	3	5		
				3				
				7				1
					8			
4		6	9					

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।
सूडोकू पहेली - 3314 का उत्तर
6 2 8 9 7 4 5 1 3
3 1 7 6 5 8 4 2 9
9 5 4 2 1 3 8 6 7
4 6 5 7 2 8 1 3 9 8
7 9 1 3 8 5 6 4 2
8 3 2 4 9 6 1 7 5
1 7 6 8 3 2 9 5 4
5 8 9 1 4 7 2 3 6
2 4 3 5 6 9 7 8 1

बनती है जब प्लेटफॉर्म सप्लायर्स और भुगतान नियंत्रित करते हैं। ड्राइवर संघटनों का कहना है कि अधिकांश ड्राइवर 20 लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा से काफी नीचे हैं और जीएसटी से बाहर हैं। तमिऴनाडु ऑटो कॉल टैक्स ड्राइवरों यूनिनन फेडरेशन ने सरकार से एसएसएस और कमीशन मॉडल में स्पष्ट अंतर करने की मांग की है। उनका तर्क है कि हर राइड पर जीएसटी से ड्राइवरों की आय घटेगी।



बच्चा चोरी की अफवाह पर मां-बेटी को जलाकर मारने की कोशिश

काल्गुन मला-2026 की तैयारियां जोजोर-शोर से चल रही हैं। मनोकामना पूर्ति केन्द्र के रूप में परिणित हो चुके बाबा श्याम के इस पावन धाम श्री श्याम मंदिर घुसुड़ीधाम में निरंतर बढ़ रही बेशुमार भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन मंदिर प्रबंधन के साथ काफी सक्रियता के साथ समन्वय करते हुए मेला के

बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग ठुकराई

पटना: बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को करीब एक दशक पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून सभी दलों को साथ लेकर राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। केंद्रीय मंत्री जीवन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, जो सत्तारूढ़ राजा का हिस्सा हैं, ने नीति की समीक्षा की मांग करते हुए कहा था कि इससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह कानून राज्य विधानमंडल में सभी दलों को साथ लेकर पारित किया गया था और इसकी समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता। ग्रामीण कार्य मंत्री आशोक चौधरी ने भी समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बिहार के सभी पंचायतों के खेल क्लब व आउटडोर स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे लगाएं: मुख्य सचिव

पटना: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बृहस्पतिवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पंचायतों में स्थित खेल क्लब तथा सभी खेल परिसरों और आउटडोर स्टेडियम में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने खेल विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा जारी बयान के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के खेल तंत्र में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि खेल क्लबों के संचालन और प्राप्ति की व्यवस्थाग निगरानी के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत निगरानी ढांचा विकसित किया जाए।

बिहार में बिना आवश्यक अनुमति वाले 'डीजे' वाहनों के खिलाफ चलेगा अभियान : मंत्री

पटना: बिहार सरकार राज्य में बिना अनुमति संचालित हो रहे 'डीजे' (बड़े म्यूजिक सिस्टम) लगे वाहनों के खिलाफ अगले 15 दिनों के भीतर व्यापक जांच अभियान चलाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। बरफ सत्र के दौरान निर्दलीय विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि जिन 'डीजे' वाहनों के पास आवश्यक अनुमति नहीं होगी, उन्हें संचालित होने से रोका जाएगा तथा जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। ब्रजवासी ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में कई 'डीजे' वाहनों की संरचना इस तरह से बदल दी गई है कि उनके पंजीकरण नंबर छिप जाते हैं। उन्होंने इसे नियमों का उल्लंघन बताया। 'डीजे' वाहन आमतौर पर एम्पलीफायर, मिक्सर और अत्यधिक तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्पीकर से लैस होते हैं।

गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ीं, 9 अन्य की दृष्टि चली गई

गोरखपुर (उप्र): शहर के एक निजी अस्पताल में एक नेत्र शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण होने से नौ मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी और नौ अन्य मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई। अधिकारियों ने अस्पताल को सील कर जांच के आदेश दिये हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में एक फरवरी को आयोजित नेत्र शिविर के दौरान 30 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 24 घंटों के भीतर, कई मरीज गंभीर दर्द और ऑपरेशन वाली आंख से स्राव होने की शिकायत करने लगे। अधिकारियों ने पुष्टि की कि कम से कम 18 लोगों में संक्रमण विकसित हुआ और उनकी हलत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के उच्च केंद्रों में रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि एक मरीज की आंख की रोशनी हालांकि बाद में आंशिक रूप से वापस आ गई। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि अस्पताल को सील कर दिया गया है और मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

बिहार के विधानसभा अध्यक्ष समेत 45 विधायकों के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती



पटना: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत 45 सदस्यों के निर्वाचन को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने

बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से पराजित प्रत्याशियों ने ये चुनाव याचिकाएं दायर की हैं और

प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "आम तौर पर कोई भी चुनाव याचिका सीधे खारिज नहीं की जाती। प्रतिवादियों को नोटिस भेजे जाते हैं और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद न्यायालय आदेश पारित करता है।" एक सवाल पर उन्होंने कहा, "हां, गया टाउन सीट से प्रेम कुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। हालांकि, उनके मामले में अब तक नोटिस जारी नहीं हुआ है।" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठवीं बार विधायक बने प्रेम कुमार के निर्वाचन को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले अखीरी ऑंकार नाथ ने चुनौती दी है। वह 26 हजार से अधिक मतों से पराजित हुए थे। प्रसाद ने बताया कि

अधिकतर चुनाव याचिकाएं विजयी उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों में कथित विसंगतियों या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर दायर की गई हैं। सूत्रों के अनुसार, जिन प्रमुख नेताओं के निर्वाचन को चुनौती दी गई है उनमें जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और युवा विधायक चेतन आनंद, तथा भाजपा के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक विधायक के निर्वाचन को भी चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। यह याचिका गोह सीट से 4,041 मतों के मामूली अंतर से विजयी रहे अमरेंद्र कुमार के निर्वाचन के खिलाफ दायर की गई है।

बिहार में अल्पसंख्यक कार्य विभाग के 'चितन शिविर' का रीजीजू ने किया उद्घाटन



पटना: केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अल्पसंख्यक कार्य विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'चितन शिविर' का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में रीजीजू ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों के लिए 'हज रिस्ट बैंड' और 'हज सुविधा ऐप' सहित विभाग के एआई चैटबॉट जैसी कई सुविधाओं की शुरुआत की। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रीजीजू ने मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (पीएमजेवीके) योजना के तहत 'निगरानी ऐप' भी लॉन्च किया।

फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

संभल (उप्र): आगामी फिल्म "यादव जी की लव स्टोरी" के निर्माताओं और अभिनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व गुप्तौर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व



भाजपा विधायक अजीत कुमार राजू यादव ने किया और बहजोई में जिला कलेक्टरेट तक मार्च निकाला।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर, जापान की यात्रा पर जाएंगे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। बृहस्पतिवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में कई बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित संबंधों को मजबूत करना है। बयान में कहा गया है कि 25 से 26 फरवरी तक आदित्यनाथ जापान में रहेंगे, जहां वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बयान में कहा गया कि जापान की अत्याधुनिक 'मैग्लेव' (मैग्नेटिक लेविटेशन) ट्रेन की यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरा का विशेष आकर्षण बनने जा रही है। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरों से ऊपर हवा में तेरते हुए चलती है।

मथुरा : कार नहर में गिरी, तीन भाइयों समेत चार लोगों की मौत



मथुरा (उप्र): मथुरा जिले के मोगराई इलाके में एक अनियंत्रित कार के नहर में गिर जाने से उसमें सवार तीन भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेश चंद्र रावत ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार की रात महमूदपुर से डींग जा रही एक कार मोगराई थाना क्षेत्र के नहरा देविया पुल के नजदीक एक तीव्र मोड़ के पास अनियंत्रित होकर एक ढांचे से टकरा गई और नहर

वाराणसी में गंगा पर चल रहे सभी सरकारी और निजी कूज़ तय नियमों का पालन कर रहे हैं: मंत्री



कि जनपद वाराणसी में कितने सरकारी और निजी कूज़ संचालित हो रहे हैं, उनके संचालन के मानक क्या हैं और क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा? इसके जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में पांच सरकारी और दो निजी कूज़ संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके संचालन के

मानक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। चर्चा के दौरान आशुतोष सिन्हा ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थिति पर अतिरिक्त जानकारी मांगी।

यूपी के दोनों उपमुख्यमंत्री संतों और बटुकों का सम्मान करते हैं : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद



पर दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा कि पाठक ने बटुकों की चोटी को कथित तौर पर खींचने को 'गंभीर

पाप' करार दिया था और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने मौर्य की पिछली अपील का भी जिक्र किया जिसमें उनसे अपना विरोध समाप्त करने और मौनी अमावस्या पर संगम में पवित्र स्नान करने का आग्रह किया गया था। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'दोनों उपमुख्यमंत्री समाज में अपनी स्थिति के प्रति सचेत हैं और उन्होंने दिखाया है कि वे बटुकों और संतों का सम्मान करते हैं।' उन्होंने कहा कि पाठक के अपने लखनऊ आवास पर 101 बटुकों के लिए अनुष्ठान करने के निर्णय ने इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया।

रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त मस्जिदों से लाउडस्पीकर से ऐलान पर सरकार ने स्पष्ट किया रुख

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रमजान के महीने में 'सहरी' और 'इफ्तार' के वक्त मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिये ऐलान को मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि ऐलान की यह परम्परा उस वक्त की है जब घड़ियों का चलन नहीं था और उच्चतम न्यायालय ने लाउडस्पीकर बजाने की अवधि पर स्पष्ट आदेश दिये हैं, जो लागू हैं। विधानसभा में



शून्य काल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य कमाल अख्तर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी त्यौहार जैसे होली, दीवाली, दशहरा, कावड़ यात्रा तथा ईसाई और सिख धर्मों के उत्सव होते हैं और आज से मुसलमानों का रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है।

लखनऊ में सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी को गोली मारने के दो आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में हाल ही में आपसी विवाद को लेकर एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) निपुण अग्रवाल ने बताया कि विगत 30 जनवरी को सेवानिवृत्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवधेश पाठक को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित मिश्रा और उसके भाई दुर्गेश मिश्रा को सुरांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के झिझिलपुरवा इलाके से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गयी है। अग्रवाल ने बताया कि आरोपी अमित मिश्रा पिछले साल नवंबर में हुए एक झगड़े के बाद पाठक से रंजिश रखता था। उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर में मोटरसाइकिल चलाते समय हुए झगड़े में सेवानिवृत्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट पाठक ने कथित तौर पर मिश्रा को गाली दी थी और थपपड़ मारा था। अग्रवाल ने बताया कि उस समय तो मामला शांत हो गया था लेकिन मिश्रा ने कथित तौर पर बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि इस साल 30 जनवरी को सुरांत गोल्फ सिटी इलाके में मिश्रा और पाठक के बीच काफ़ी तकरार हुई। उन्होंने बताया कि पाठक ने मिश्रा रास्ता पूछने के बहाने पाठक के पास गया और उनके सिर में गोली मार दी और अपने बड़े भाई दुर्गेश मिश्रा के साथ मोटरसाइकिल पर मौके से भाग गया।

एस्टीन विवाद के बाद बिल गेट्स की फाउंडेशन से नाता तोड़ें : राजद सांसद की नीतीश से मांग

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की अध्यक्षता वाली 'गेट्स फाउंडेशन' से राज्य सरकार के संबंध समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब यौन अपराधी जेफ्री एस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में गेट्स का नाम सामने आया है। पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान में बक्सर से लोकसभा सदस्य सिंह ने 17 फरवरी को लिखे अपने पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया है। पत्र में सिंह ने कहा है कि उन्हें यह जानकारी आख़र में हुई कि गेट्स फाउंडेशन बिहार सरकार के साथ नीतिगत मामलों में कार्य कर रही है और यह सहयोग "कुछ मामलों में अधिकृत तथा कुछ में अनधिकृत" है। सिंह ने आरोप लगाया कि गेट्स फाउंडेशन द्वारा नियुक्त और प्रति माह लाखों रुपये वेतन पाने वाले कुछ लोगों को बिहार के कई वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजद नेता ने कहा कि इससे उन्हें सरकार की योजनाओं और नीतियों से जुड़ी सूचनाओं तक आसान पहुंच मिलती है।

कानपुर पुलिस ने नौ राज्यों में फैले फर्जी डिजी गिरोह का भंडाफोड़, चार सदस्य गिरफ्तार

कानपुर : कानपुर पुलिस ने कम से कम नौ राज्यों में सक्रिय फर्जी डिड्री उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का बृहस्पतिवार को भंडाफोड़ कर चार लोगों को गिरफ्तार किया और 14 विश्वविद्यालयों से जुड़े लगभग 900 जाली अंकपत्र व दस्तावेज जब्त किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपी यहां किटवर्इ नगर स्थित 'शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन' नामक कार्यालय से यह गिरोह संचालित कर रहे थे। गिरोह कथित तौर पर उम्मीदवारों को परीक्षा दिए बिना हाईस्कूल (10वीं) से लेकर बीटेक, बी फार्म और एलएलबी जैसे पाठ्यक्रमों तक के अकादमिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता था। बरामद जाली दस्तावेजों में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की 357 फर्जी डिग्रियां शामिल हैं, जो किसी एक संस्थान से जुड़ी सबसे अधिक संख्या है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कई निजी विश्वविद्यालयों के नाम पर जारी जाली प्रमाणपत्र भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार, एएमएससी स्नातक और गणित शिक्षक एवं कथित सरनाा शैलेन्द्र कुमार (36) पहले छात्रों को निजी परीक्षा फॉर्म भरने में मदद करता था और बाद में फर्जी डिग्री के कारोबार में उतर गया। उसने कथित तौर पर विश्वविद्यालयों के लिपिकों और कर्मचारियों का नेटवर्क बना लिया था, जो मांग पर असली मार्कशीट और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराते थे।

